

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,
बगहा, प0 चम्पारण।

Naurangiya P.S. No.- 21/2005

G.R. No.- 883/2005

C.I.S. No.-883/2005

04.06.2026

अभिलेख अनुसंधानक द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन संख्या— 01/2007 दिनांक 08.01.2007 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन पर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी अंतर्गत धारा 302,201/34 भारतीय दण्ड विधान के तहत कुल सात अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई है।

अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानक द्वारा मामला साक्ष्य की कमी पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई हेतु सूचक के विरुद्ध नोटिश निर्गत किया गया, जिसका तामिला अभिलेख के साथ संलग्न है। परन्तु आज तक सूचक न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न ही उसकी ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और न ही सूचक की ओर से कोई विरोध पत्र दाखिल किया गया। आज भी बार बार पुकार पर न तो सूचक उपस्थित हुआ और न ही उनकी ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

प्राथमिकी, अंतिम प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में आदेशिका निर्गत किए जाने हेतु सामग्री नहीं है। परिणामतः अनुसंधानक द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन संख्या— 01/2007 दिनांक 08.01.2007 को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

आदेशित

Sd/-

अविनाश कुमार

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,
बगहा, प0 चम्पारण।

आदेश की तिथि	04.06.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	कुछ नहीं
आदेश अपलोड करने की तिथि	04.06.2026
अपलोड करने वाला	कोर्ट रीडर—कम—डिपोजिशन राईटर